**दिनांक 10.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित मुंगेर एवं जमुई जिले के योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–**

**उपस्थितिः–संचिका में संधारित।**

1. **माप–तौल** :– सहायक नियन्त्रक, माप–तौल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जिले में 23 पेट्रोल पंप हैं एवं जिले में किरोसीन तेल के 7 डीलर हैं, जिसमें से मात्र एक डीलर का सत्यापन हो पाया है। जिले में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 14.42 लाख रूपये के विरूद्ध 13.20 लाख रूपये की प्राप्ति हुई है। जिले में कोई निरीक्षक कार्यरत हैं। जिले में अतिरिक्त प्रभार में निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

   प्रधान सचिव द्वारा श्री वासुदेव प्रसाद, निरीक्षक, मुंगेर से यह पूछे जाने पर कि जिले में किरोसिन तेल का 07 डीलर हैं या 01 डीलर हैं तो इनके द्वारा इस संबंध में कोई जबाव नहीं दिया जा सका, जिस पर प्रधान सचिव द्वारा चेतावनी दी गयी एवं कृषि निदेशक इनसे स्पष्टीकरण पूछकर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

   सहायक नियन्त्रक, माप--तौल, जमुई द्वारा बताया गया कि जिले में 25 पेट्रोल पंप एवं किरोसिन तेल के 04 डीलर हैं। दोनों जिले में कोई निरीक्षक कार्यरत हैं। दोनों जिले में अतिरिक्त प्रभार में निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। दोनों जिलों को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में निरीक्षक के कुल स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद का विवरण लेकर बैठक में उपस्थित हों।

   संयुक्त निदेशक–सह–नियन्त्रक, माप–तौल, बिहार, पटना को जिलावार पेट्रोल पंप एवं एल०पी०जी० वितरकों की सूची प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

   निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **जैविक खेती** :– जमुई जिले में पक्का वर्मी बेड में उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कोषागार द्वारा राशि की निकासी नहीं होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

   निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

3. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में मुंगेर जिला में लक्ष्य 126 के विरूद्ध उपलब्धि 93 है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

   जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

4. **बीजोपचार** :– इस योजना में जमुई जिले में उपलब्धि शून्य है। प्रधान सचिव द्वारा शून्य उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वे जमुई जिले के अतिरिक्त प्रभार में हैं और माह मार्च में ही प्रभार ग्रहण किये हैं, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

अगली बैठक में बीज का कंपनीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

5. **फेरामैन ट्रैप** :– इसमें मुंगेर जिला में लक्ष्य 90 हेक्टेयर के विरूद्ध उपलब्धि 64 हेक्टेयर है, जो 54 प्रतिशत है एवं जमुई जिला में उलपब्धि 55 प्रतिशत पायी गयी।

निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

6. **वर्मी कम्पोस्ट** :– जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान का भुगतान 15 से 20 अप्रैल तक निश्चित रूप से कर दें।

वर्मी कम्पोस्ट वितरण की जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

7. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर एवं जमुई द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत मुंगेर जिले का वित्तीय लक्ष्य 2.34 करोड़ है, जिसके विरूद्ध 54 प्रतिशत उपलब्धि है तथा जमुई जिले का वित्तीय लक्ष्य 2.64 करोड़ है, जिसके विरूद्ध 1.37 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है।

इस पर श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि दोनों जिलों द्वारा RTGS के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है। ऑनलाईन रिर्पोटिंग के अनुसार जमुई जिले द्वारा 41.69 लाख रूपये की ही सब्सिडी का भुगतान किया गया है। इस पर जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यंत्रों का बिना सत्यापन कराये ही चेक के माध्यम से अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है, जिसकी जाँच करायी जा रही है। आश्वासन दिया गया कि इस माह तक शत–प्रतिशत जाँच करा ली जाएगी एवं अनुदान की राशि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कई यंत्रों का अभी सत्यापन नहीं होने के कारण अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

मुंगेर जिले में पावर टीलर में लक्ष्य 66 के विरूद्ध उपलब्धि 09 एवं जीरो टिलेज में लक्ष्य 54 के विरूद्ध उपलब्धि 05 है। प्रधान सचिव द्वारा असंतोषजनक उपलब्धि रहने का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें किसानों की अभिरूचि नहीं रहने के कारण उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी।

बैठक के क्रम में यह जानकारी दी गयी कि डिब्लर मशीन का प्रयोग लगभग 01 एकड़ भूमि तक ही हो पा रहा है, इसके बाद यह मशीन टूट जाती है। इस पर नोडल

पदाधिकारी (कृषि यांत्रिकरण) को डिब्लर मशीन के बारे में स्पष्ट जानकारी देने का निदेश दिया गया, जिससे इस मशीन के प्रयोग पर पुनर्विचार किया जा सके।

सभी प्रमंडलों के एक–एक कृषि फार्म के लिए लैंड लेजर लेवलर का क्रय करने के प्रस्ताव को उपस्थापित करने का निर्देश श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण को दिया गया। इसके उपयोग हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था भाड़े पर की जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर चालकों की कमी है।

निदेश दिया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना का सभी लाभान्वित कृषकों को राशि हस्तगत करा दिया जाय, क्योंकि Software 15 अप्रैल, 2015 तक ही कार्य करेगा। यह भी निदेश दिया गया कि खेती में जीरो टिलेज मशीन का प्रयोग करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। निदेशक, बामेती को जिले में जिरो टिलेज का प्रशिक्षण आयोजित करने का निदेश दिया गया।

योजना के कार्यान्वयन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेनें का निदेश दिया गया।

8. **अन्न भंडारण** :– मुंगेर जिले में अन्न भंडारण हेतु कोठिला वितरण का लक्ष्य 806 के विरूद्ध उपलब्धि 806 एवं जमुई जिला में लक्ष्य 1220 के विरूद्ध उपलब्धि 706 प्रतिवेदित की गयी।

जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि दो मेला आयोजित नहीं होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

9. **सूक्ष्म पोषक तत्व योजना** :– इस योजना में दोनो जिले की उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी।

अगली बैठक में डीलरवार बिक्री एवं किसानों की सूची के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया ताकि उसे सत्यापित कराया जा सके।

10. **बायोपेस्टिसाईड** :– अगली बैठक में बायोपेस्टिसाईड का एजेंसीवार बिक्री का प्रतिवेदन लाने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

11. **खरीफ योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि खरीफ योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को चिन्हित करके तारापुर प्रखंड में सामुदायिक नर्सरी लगाये गये हैं।

निदेशक (पी०पी०एम०) को सभी जिलों के कृषि समन्वयकों को प्रत्येक पंचायत में दो–दो एकड़ की जमीन पर सामुदायिक नर्सरी लगाने का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि मेन्था की खेती आत्मा योजना के माध्यम से तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया गया है। इस पर निदेशक, बामेती द्वारा बताया गया कि पूर्व में मेन्था की खेती आत्मा के माध्यम से हो रहा था, लेकिन अभी उद्यान की माध्यम से इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

जमुई जिले में खरीफ योजना में उपलब्धि शत–प्रतिशत पायी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि श्रीविधि से खेती हेतु किसानों को वर्मी कम्पोस्ट, बीज, दवा आदि दिया जाता है। प्रधान सचिव द्वारा यह पूछे जाने पर कि किस तरह का दवा दिया जाता है तो इस पर इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में बीज वितरकों एवं बिचौलियों की सूची के साथ उपस्थित हों।

12. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मुंगेर जिले में गेंहूँ में उपलब्धि शत–प्रतिशत है। मसूर के प्रत्यक्षण में लक्ष्य 542 के विरूद्ध उपलब्धि 439 है, जिसमें 8.99 लाख रूपये का व्यय किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 01 एकड़ में मसूर 12 किग्रा० दिया गया है। इस पर निदेशक (पी०पी०एम०) द्वारा कहा गया कि इस योजना में सरकार द्वारा किसानों को मसूर 04 किग्रा० देने एवं 04 किग्रा० मसूर किसान द्वारा स्वयं लगाने का प्रावधान है।

निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

13. **रब्बी अभियान** :– जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

14. **डीजल अनुदान** :– डीजल अनुदान वितरण हेतु मुंगेर जिले को 1.15 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 96.00 लाख रूपये की निकासी की गयी है एवं जमुई जिले को 4.31 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 3.86 करोड़ रूपये की निकासी की गयी। दोनों जिलों द्वारा शेष राशि विभाग को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

पूर्व के वर्षों का लंबित डी०सी० विपत्र शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

15. **ई–किसान भवन** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि बरहट प्रखंड के ई–किसान भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नया प्रखंड है। खैरा, जमुई एवं चकाई प्रखंड के ई–किसान भवन पर CRPF द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि तारापुर, संग्रामपुर एवं खड़गपुर प्रखंडों में ई–किसान भवन में भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा दो प्रखंडों में भवन निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है।